बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 11 अंक 309

सोशल मीडिया का नियमन

गत वर्ष दिसंबर में सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्था दिशानिर्देश संशोधन नियम, 2018 का प्रारूप जारी किया गया था और 31 जनवरी 2019 तक उस पर जनता से राय मांगी थी। यह प्रारूप सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं संबंधित सेवाएं देने वाले सभी प्लेटफॉर्म एवं कंटेंट एग्रीगेटर के नियमन के लिए तैयार किया गया है। इन आईटी मध्यवर्ती संस्थाओं में नेटवर्क सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता, सर्च इंजन, ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आते हैं। यह प्रारूप मूलत: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही बढ़ाने के लिए बनाया गया है। नए दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करते हैं कि सोशल मीडिया क्षेत्र की वैश्विक कंपनियां भी भारतीय कानूनों का पालन करें। भारत में 50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं वाले प्लेटफॉर्म या सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी प्लेटफॉर्म को भारतीय कानून का अनुसरण करना होगा और उन्हें यहां अपना पंजीकृत कार्यालय भी रखना होगा। इन कंपनियों को प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय रखने और कानूनों के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए अपना एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। इन कंपनियों का व्यवस्थित एवं प्रभावी नियमन होना ही चाहिए क्योंकि फर्जी खबरें एवं अफवाहें फैलाने में सोशल मीडिया का खूब दुरुपयोग हो रहा है।

लेकिन इस मसौदे में कुछ बेचैन करने वाले पहलू भी हैं। यह निगरानी एवं सेंसरशिप के चक्र को सख्त करता है और निजी पक्ष भी इसकी जद में आ जाते हैं। ऐसा होने से सोशल मीडिया उपभोक्ताओं की निजता और उनकी अनामता खत्म हो जाती है। इसमें सोशल मीडिया से हटाए जाने लायक सामग्री की व्याख्या के लिए बेहद व्यापक एवं अपरिभाषित शर्तों का भी इस्तेमाल किया गया है। भारत में अब भी निजता का कानून नहीं है और न ही डिजिटल संभाषण एवं निजता को संरक्षण देने का कोई प्रावधान ही है। इन दिशानिर्देशों के मुताबिक, अधिकारियों की तरफ से मांग आने पर 24 घंटे के भीतर संदिग्ध सामग्री अपलोड करने वालों की 'पहचान' करनी होगी। लेकिन कूटलेखन तोड़े बगैर ऐसा कर पाना तकनीकी रूप से मुश्किल है। लेकिन कूटलेखन भंग करने से सामग्री की निजता एवं अनामता दोनों पूरी तरह खत्म हो जाती है। दूसरा, इस संशोधन में मध्यवर्ती इकाइयों को तमाम तरह की सामग्रियों की त्वरित पहचान एवं उन्हें हटाने के लिए तकनीक का भी इस्तेमाल करने की जरूरत है। इससे निजी क्षेत्र पर सेंसरशिप लागू होने के साथ उस पर निगरानी भी बढ़ सकती है। ऐसी सामग्री को व्यक्तिनिष्ठ तरीके से 'नुकसानदायक' एवं 'अपमानजनक' शब्द के तौर पर परिभाषित किया गया है। मध्यवर्ती संस्थाओं की भूमिका अधिकांश न्यायक्षेत्रों में विवादित रही है। निजी टिप्पणियां लिखने की अनुमति होने से इन प्लेटफॉर्म पर अनजान सामग्री आना लाजिमी है। जागरूक लोकतंत्रों में ऐसी सामग्री को दो व्यापक आयामों पर देखा जाता है। पहला आयाम 'सुरक्षित आश्रय' का है जिसमें किसी अनजान शख्स द्वारा गैरकानूनी या निंदापरक पोस्ट लिखे जाने पर उस मध्यवर्ती प्लेटफॉर्म को दोषी नहीं माना जाता है। लेकिन सक्षम अधिकारियों द्वारा संज्ञान में लाए जाने पर उस प्लेटफॉर्म को वह पोस्ट निश्चित समय के भीतर हटानी होती है। दूसरा, अनजान शख्स के लिखे शब्दों को ज्ञात स्रोतों द्वारा तैयार ऑनलाइन सामग्री के समान ही देखा जाता है। अगर यह सामग्री कानूनी दायरे में आती है तो किसी अनजान व्यक्ति की पोस्ट होने पर भी उसे हटाया नहीं जाना चाहिए।

प्रस्तावित संशोधनों में सामान्य समझ वाले इन प्रावधानों का अभाव नजर आता है। आईटी मध्यवर्ती इकाइयों को सेंसरशिप एवं निगरानी के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। कोई भी कार्रवाई अदालती आदेश या संबंधित सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के आधार पर होनी चाहिए। इसके साथ ही ऐसी कार्रवाई के खिलाफ अपील का प्रावधान भी रखा जाना चाहिए।

अजय मोहंती

वित्तीय कंपनियों के आचरण में गिरावट के कारण ?

वित्तीय कंपनियों के व्यवहार में निरंतर आ रही कमी और उनके कदाचार के चलते ही आज देश में वित्तीय जगत की हालत इतनी खस्ता है। इस विषय पर विस्तार से रोशनी डाल रहे हैं **देवाशिष बसु**

बीते कुछ महीनों पर गौर किया जाए जो कारोबारी जगत से स्कैंडल और खराब संचालन के मामले निरंतर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज (आईएलऐंडएफएस) मामला, दीवान हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड की खस्ता हालत, आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक की अनियमितता, ज़ी के प्रवर्तक की ओर से सामने आया झटका, येस बैंक और ऐक्सिस बैंक के कुछ अज्ञात मसले (इन बैंकों के प्रमुखों को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है), स्टरलाइट और वेदांत के प्रवर्तकों का आत्म केंद्रित व्यवहार आदि ऐसे ही कुछ मामले हैं।

इनमें से प्रत्येक घटना के बाद शेयरधारकों के मूल्य में भारी गिरावट आई। डीएचएफएल की हालत सबसे अधिक खराब हुई और उसके शेयर की कीमत 700 रुपये प्रति शेयर से गिरकर 110 रुपये प्रति शेयर रह गई। इस प्रकार सितंबर 2018 से अब तक इसमें 85 फीसदी की गिरावट आई है। येस बैंक की शेयर कीमत आधी रह गई है। आईएलऐंडएफएस सूचीबद्ध कंपनी नहीं है लेकिन उसकी खस्ता हालत का असर समूचे वित्तीय क्षेत्र पर महसूस किया गया है, नकदी की कमी हो गई है, लोग जोखिम लेना नहीं चाह रहे।

ये घटनाएं एक के बाद एक घटित हुईं और इन्होंने एक बार पुन: यह दर्शाया कि किसी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी के भीतर क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में शेयरधारकों को कितनी सीमित जानकारी होती है। यह बात जितनी खुदरा निवेशकों पर लागू होती है उतनी ही संस्थागत निवेशकों पर भी। क्या ऐसे हालात को टालने के लिए कुछ किया जा सकता है? एक हद तक तो यह कि जब भी ऐसी कोई दुर्घटना घटित होती है, कहीं न कहीं से नियमन और कड़े करने की मांग आने लगती है। दूसरा छोर यह है कि कुछ लोग कहना शुरू कर देते हैं कि कदाचार का नियमन करना संभव ही नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और नियमन इन्हें रोक नहीं सकता। क्या यह संभव है कि इन दोनों ध्रुवों के बीच कोई सार्थक दृष्टिकोण हासिल किया जा सके। अगर इसका उत्तर हां है तो क्या वाकई कॉर्पोरेट कदाचार की समस्या कोई प्रभावी हल वाकई तलाश किया जा सकता है?

गहराई से नजर डालकर हम ऐसे मामलों को कम अवश्य कर सकते हैं। कॉर्पोरेट कदाचार की दिक्कतों से निपटने में फिलहाल यही किया जा सकता है। आईएलऐंडएफएस, डीएचएफएल, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, ऐक्सिस बैंक आदि नामों पर ध्यान दीजिए, ये सभी वित्तीय संस्थान हैं। यह भी ध्यान रहे कि संगठित वित्तीय क्षेत्र, सरकारी बैंकों में मची भारी भरकम लूट ने देश की आर्थिक वृद्धि को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। इस लूट के लिए नेता, बाबू, बैंकर और कारोबारी, सभी जवाबदेह हैं। इन सबके बीच सरकारी बैंकों और गड़बड़ वित्तीय कंपनियों ने छोटे जमाकर्ताओं को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। अगर कोई व्यवस्थागत संकट है, अगर खुदरा जमाकर्ताओं के पैसे को जोखिम है, तो आप शर्त लगा सकते हैं कि एक या एक से अधिक वित्तीय कंपनियां इसकी वजह होंगी।

अमेरिका से उपजा वित्तीय संकट जो तेजी से भारत समेत पूरी दुनिया में फैल गया, उसके लिए शेयर ब्रोकरों और संस्थागत निवेशकों की मदद से लिया गया कर्ज जवाबदेह था। ऐसा नहीं है कि गैर वित्तीय कंपनियों को इन वित्तीय घपलों-घोटालों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम हैं। बीतते वर्षों के दौरान प्रतिभूति बाजार में नियमन और खुलासों ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि समझदार निवेशक ऐसी दुर्घटनाओं से बच सकें। वे खराब संचालन वाले प्रवर्तकों से दूरी बरत सकते हैं। वित्तीय कंपनियों की निगरानी एक अलग मसला है। वित्तीय कंपनियों को परिचालन के लिए कड़े नियमों की आवश्यकता है। अगर वे सूचीबद्ध हैं, तो उनकी निगरानी कम से कम दो नियामकों मसलन प्रतिभूति बाजार नियामक यानी सेबी और वित्तीय बाजार नियामक यानी रिजर्व बैंक द्वारा की जानी चाहिए। आवास वित्त कंपनियों की अतिरिक्त निगरानी राष्ट्रीय आवास बैंक करता है। अगर इस बारंबार संकट का कारण वित्तीय कंपनियां हैं तो क्या यह कहा जाए कि नियामक अपना काम ठीक से नहीं पूरा कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कीजिए:

■ सरकारी बैंकों को बीते 20 वर्षों में बार-बार जनता के पैसे से उबारना पड़ा है। इसके लिए कितने लोगों को जवाबदेह ठहराया गया?

■ एक स्कूली विद्यार्थी भी यह बात जानता है कि किसी भी तरह के ऋण के बदले कुछ जमानत होनी चाहिए। सरकारी बैंकों की 10 लाख करोड़ रुपये की जो राशि डूबी उसके लिए कौन उत्तरदायी है। वह पैसा इसलिए वापस नहीं आया क्योंकि उसकी ली सकने वाली जमानत कुछ थी ही नहीं।

■ वित्त मंत्रालय तीन दशकों से जनता का पैसा सरकारी बैंकों में क्यों डालता आ रहा है? जबकि इसके बजाय उसे कुछ ठोस बुनियादी कदम उठाने थे।

■ अगर दीवान हाउसिंग फाइनैंस का पतन होता है तो क्या राष्ट्रीय आवास बैंक से सवाल किया जाएगा?

■ आईएलऐंडएफएस जिसकी निगरानी आरबीआई के पास रही है, उसे तीन दशक तक कुछ लोगों ने निजी कारोबार की तरह कैसे बरता? उसे करीब 350 कंपनियों का जाल कैसे बुनने दिया गया जिन्होंने मिलकर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण लिया।

■ आरबीआई का शीर्ष नेतृत्व आईएलऐंडएफएस के व्हिसल ब्लोअर्स के विभिन्न पत्रों पर पेशकदमी करने से चूक तो नहीं गया? अगर ऐसा हुआ तो क्या किसी को दंडित नहीं किया जाना चाहिए?

यह वित्तीय क्षेत्र की अनियमितताओं का एक छोटा सा उदाहरण भर है। इस क्षेत्र में कहीं अधिक कड़े नियमों की आवश्यकता है। ऐसे नियम जिन्हें व्यवहार में अमल में लाया जा सके और जो केवल कागजी बनकर न रह जाएं। इसके बजाय हमारे यहां ऐसे नियमनों को तोड़ मरोड़ लिया जाता है। इसके पीछे भी भ्रष्टाचार और अक्षम नियामक ही प्रमुख वजह हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवस्थागत जोखिमों से बचने का एक प्रमुख तरीका यह है कि नियामकों, खासतौर पर सीधे वित्तीय फर्म के प्रभारी नियामकों को हर बड़ी गड़बड़ी के लिए प्रत्यक्ष तौर पर उत्तरदायी ठहराया जाए। प्रश्न यह है कि नियामकों की निगरानी कौन करेगा?

यह काम तो वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के हवाले ही है क्योंकि प्रमुख कमान और नियंत्रण के केंद्र तो वही हैं। परंतु अधिकतम शासन के पांच वर्ष होने को हैं, लेकिन इन कार्यालयों ने वित्तीय नियामकों को जवाबदेह नहीं बनाया है।

राफेल सौदे में नाकामी के सबूत जगजाहिर

दोधारी तलवार

अजय शुक्ला

फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को लेकर विवाद 2017 के आखिर में पैदा हुआ था। यह शुरुआत में राहुल गांधी का राजनीति प्रेरित हमला नजर आता था, जो अधिक कीमत पर खरीद और मोदी के नजदीकी माने जाने वाले अनिल अंबानी के रिलायंस समूह को फायदा पहुंचाने के लिए सांठगांठ करने के आरोपों पर केंद्रित था।

पिछले डेढ़ साल के दौरान राफेल सौदे में अनुचितता, प्रक्रियाओं का पालन न करने, मानक अनुबंध शर्तों को विदेशी वेंडरों के अनुकूल बनाने के लिए इनमें बदलाव करने और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की चिंताओं की अनदेखी करने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। पूरा विपक्ष अब राहुल के आरोपों के सुर में सुर मिला रहा है।

इस अवधि में भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने राफेल से जुड़ी सभी लड़ाइयां जीती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण समेत अनेक की याचिकाएं खारिज कर दीं। नागरिक समूहों के आग्रह के बावजूद सीबीआई ने कोई जांच शुरू नहीं की है। टेलीविजन पर बहस में सरकार और भाजपा के प्रवक्ताओं ने सफलतापूर्वक इस मुद्दे को तकनीकी और प्रक्रिया के जाल में उलझा दिया। इन सबके बावजूद राफेल युद्ध जारी है, जो मोदी को कमजोर कर रहा है। वे अधिकारी लगातार खुलासे कर रहे हैं, जो इस बात से खफा हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के ताकतवर फैसला लेने वाले लोगों के कहे अनुसार काम करने के लिए दबाया गया। इससे पहले सौदे की बात में शामिल रक्षा मंत्रालय के तीन अधिकारियों ने भी लिखित में यह मतभेद जताया था कि कैसे 'वित्तीय मितव्ययिता की बुनियादी जरूरत' की अनदेखी की जा रही है। इस समाचार-पत्र ने भी यह खबर प्रकाशित की थी कि कैसे मीडियम मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट निविदा के तहत 126 राफेल की खरीद की जगह 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के मोदी के एकतरफा फैसले ने कैसे भारतीय वायु सेना और तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को चौंका दिया था।

पहला आरोप यह है कि फ्रांसीसी वेंडरों दसॉ (विमान) और एमबीडीए (हथियार) को भारतीय वायु सेना से राफेल के लिए 126-एमएमआरसीए सौदे की कीमतों की तुलना में अधिक कीमत वसूलने की मंजूरी दी गई। इसी समाचार-पत्र की खबरों में कहा गया था कि दसॉ ने 2007 में 126 राफेल के लिए 19.5 अरब यूरो की बोली लगाई थी। यह 2016 में 36 राफेल के लिए 7.87 अरब यूरो में हुए करार से करीब 40 फीसदी सस्ता था। सरकार ने तर्क दिया कि अब राफेल में भारत की जरूरतों के हिसाब से कुछ चीजें जोड़ी गई हैं, जिससे ये ज्यादा सक्षम बन गए हैं। लेकिन बाद में यह भी सामने आया कि जो नई क्षमताएं जोड़ी गई थीं, वे पहले के खरीद सौदे का भी हिस्सा थीं।

सरकार ने ऐसी रिपोर्टों को खारिज करने की कोशिश की है, लेकिन उसने आधिकारिक आंकड़ों का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें सार्वजनिक करने का वादा किया था, लेकिन बाद में फ्रांस के साथ गोपनीयता समझौता का हवाला देते हुए पीछे हट गईं। इस बीच पार्टी के प्रवक्ताओं ने तर्क दिया है कि 36 राफेल की कीमत की 126-एमएमआरसीए निविदा से तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि यह निविदा कभी अनुबंध नहीं बन पाई।

विवाद का एक अन्य बिंदु ऑफसेट के लिए दसॉ के मुख्य साझेदार के रूप में रिलायंस समूह का चयन है। ऑफसेट के तहत वेंडरों को अपने अनुबंध के मूल्य की आधी राशि भारत के रक्षा उद्योग में निवेश करनी पड़ती है। ऑफसेट नियमों के तहत वेंडर को अपनी ऑफसेट योजना सौंपनी पड़ती है ताकि उसकी रक्षा मंत्रालय पहले ही जांच कर सके। हालांकि दसॉ के साथ बातचीत शुरू होने के बाद 2 अगस्त, 2015 को एक संशोधन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्रालय को ऑफसेट प्रस्तावों की जांच और मंजूरी की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। इसे लेकर सीतारमण ने तर्क दिया कि रिलायंस समूह अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति और हवाई विनिर्माण में अनुभव न होने के बावजूद दसॉ की पसंद था। फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि भारत ने ही कहा था कि ऑफसेट के लिए रिलायंस समूह को चुना जाए। हालांकि दसॉ का अनुबंध अधर में है, इसलिए उसने इस फैसले की जिम्मेदारी खुद पर ली है।

हाल में द हिंदू द्वारा किए गए खुलासे पीएमओ की आशंकाओं पर केंद्रित हैं। एक फाइल में रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने लिखा है कि पीएमओ के हस्तक्षेप के कारण भारत की फ्रांस के साथ बातचीत कमजोर पड़ रही है, विशेष रूप से सॉवरिन गारंटी के मामले में।

सोमवार को हुए खुलासे और चिंताजनक हैं। दस्तावेज संकेत देते हैं कि 36 राफेल के अनुबंध दस्तावेज को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद सरकार ने अनुबंध के कई प्रावधानों को कमजोर किया। इससे कई सवाल पैदा होते हैं। कैबिनेट द्वारा मंजूर एक अनुबंध से भ्रष्टाचार निरोधी प्रावधानों को हटाने के लिए पीएमओ को क्यों हस्तक्षेप करना चाहिए? क्या फ्रांस के वार्ताकारों ने 'इंटीग्रिटी क्लॉज' को हटाने के लिए कहा था या ऐसा भारत की तरफ से किया गया? आगे और खुलासे होने के बावजूद केवल पैसे का लेनदेन ही राफेल मामले में आपराधिक दोष साबित करेगा। उसके बिना केवल जनमत की अदालत में ही फैसला सुनाया जा सकता है। इसके बावजूद मामले से काफी नुकसान हुआ है। प्रक्रियाएं और संस्थागत प्रणाली की भारी अनदेखी की गई है और रक्षा खरीद की पहले से ही मुश्किल प्रक्रिया और जटिल हो गई है। हो सकता है कि हमें यह कभी पता न चले कि राफेल सौदे में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं। लेकिन अक्षम्य नाकामी के सबूत जगजाहिर हैं।

कानाफूसी

अनावरण के मौके पर

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदम कद तस्वीर का अनावरण किया। यह कार्यक्रम राजनीतिक बयानबाजी का भी अवसर बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोग वाजपेयी को भले ही वाक-कौशल से जानते हों लेकिन उनकी चुप्पी में उनके शब्दों से ज्यादा ताकत थी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने वाजपेयी के उन शब्दों को याद किया कि अगर भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो वह भारत नहीं है। आजाद ने कहा कि वाजपेयी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के लिए भी कभी कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। संसद के केंद्रीय कक्ष में जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। इससे पहले केंद्रीय कक्ष की इस गैलरी में अंतिम बार 2003 में विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर लगाई गई थी।

उपवास के बाद भोज

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को तेलुगू देशम पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ नई दिल्ली स्थित आंध्र प्रदेश भवन से राष्ट्रपति भवन तक जुलूस निकाला। नायडू और अन्य लोग राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले और उनसे अपने राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग को दोहराया। एक दिन पहले ही नायडू ने आंध्र भवन पर एक दिन का उपवास रखा था। अकेले नायडू ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के बहुत से सदस्य उस उपवास में शामिल थे। मंगलवार को नायडू और पार्टी के सहयोगियों को भरपेट भोजन परोसा गया जिससे वे अपने जुलूस की तैयारी कर सकें।

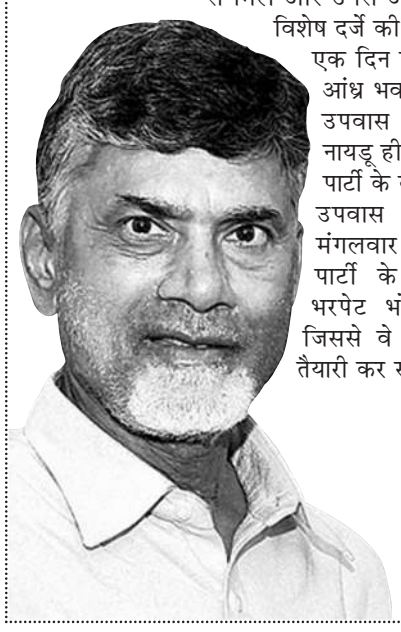

आपका पक्ष

ऑनलाइन डिलिवरी के लिए बनें नियम

आजकल देश में ऑनलाइन खाना मंगाने की आदत तेजी से बढ़ रही है। इससे हमें कुछ अतिरिक्त शुल्क देकर घर बैठे बेहतर खाना मिल जाता है। हालांकि इससे जुड़ी कई समस्याएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं। हाल ही में चेन्नई में एक युवक ने शिकायत की कि उसके द्वारा एक फूड डिलिवरी फर्म से मंगाए गए खाने में खून लगा बैंडेज मिला। हालांकि यह खबर वायरल होने पर फर्म ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ग्राहक से माफी मांगी और कड़ी जांच का वादा किया। इससे पहले भी एक अन्य फूड डिलिवरी फर्म के डिलिवरी बॉय को बीच रास्ते में खाना खाते हुए एक वीडियो वायरल हो गया था। ग्राहक किसी भी कंपनी से इस विश्वास पर खाना मंगाते हैं कि वे उन सभी मानकों का पालन करेंगी जिसका वादा कंपनियां अपने विज्ञापनों में करती हैं। ऑनलाइन फूड डिलिवरी कंपनियों को ध्यान

रखना होगा कि ग्राहकों को स्वच्छ और स्वस्थ भोजन देना उनका कर्तव्य और जिम्मेदारी है और इससे उनको कारोबार में लाभ होगा। भारत में ऑनलाइन फूड डिलिवरी का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे समय में स्वनियमन से आगे बढ़कर इससे संबंधित कड़े नियम लेकर आने होंगे। जिससे उपभोक्ताओं के

देश में ऑनलाइन फूड डिलिवरी कारोबार तेजी से अपना विस्तार कर रहा है

अधिकारों की बेहतर तरीके से रक्षा हो सके और इन कंपनियों को जिम्मेदारी तथा कर्तव्य का अहसास कराया जा सके।

मनदीप गोयल, मेरठ

मतदाताओं को लुभाने का प्रयास है बजट

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस चुनावी बजट में गांव से लेकर गरीब, किसान से लेकर मजदूर और वेतनभोगियों सहित सभी मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया है। अब 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स में राहत, 2022 तक सभी को अपना धर उपलब्ध कराने का वादा और आयुष्मान भारत योजना के तहत निम्न और मध्यम वर्ग के लिए कई वादे और प्रयास किए गए हैं। हो सकता है कि भाजपा सरकार ने कुछ समय पहले हुए तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली हार का विश्लेषण करके किसानों के लिए 6,000 रुपये सालाना राशि देने का वादा किया है। पूर्व सैनिकों को रिझाने के लिए बजट में एक रैंक एक पेंशन को शामिल किया गया है। हालांकि लोकतांत्रिक भारत के मतदाता काफी जागरूक हो गए हैं और वे सरकार के कमाकाज की समीक्षा के आधार पर ही आगामी लोकसभा चुनावों में मतदान करेंगे।

हार्दिक जैन, इंदौर

महंगाई पर लगाम

हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी माह में खुदरा महंगाई दर 2.05 प्रतिशत पर आ गई जो 19 महीने का न्यूनतम स्तर है। पहले के आंकड़ों से तुलना करें तो जनवरी 2018 में यह 5.07 प्रतिशत पर थी। इस दौरान महंगाई के आंकड़ों में काफी गिरावट आई है जिसका मुख्य कारण मॉनसून का सामान्य रहना, ईंधन के दाम में कमी तथा फल, सब्जियां, अंडे की कीमतों में कमी रहा है। महंगाई में कमी के चलते भारतीय रिजर्व बैंक को नीतिगत निर्णय लेने में आसानी होगी। इन सबके चलते आम आदमी को काफी राहत मिली है।

सोनल तिवारी, लखनऊ

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।